लेकिन यह चीज तब हो सकती है जब हम में डिसिप्लिन हो । जब हम नियंत्रित हो जायें, तब कानून की आवश्यकता नहीं होगी । यह ठीक है कि अगर कानूनों पर ठीक ढंग से अमल न हो, तो कानून नहीं बनने चाहियें । लेकिन जब बड़े बड़े कानून बन रहे हैं तब इस छोटे से समाज सुधार के कानून को रोकना ठीक नहीं है ।

राजकुमारी जी ने एक चीज यह कही कि यह काम सोशल वैलफेयर बोर्ड के सुपुर्द करना चाहिये । मेरा यह विचार है कि यह कानून सोशल वैलफेयर बोर्ड के विरुद्ध नहीं है बल्कि उसके काम का पूरक है । इससे सोशल वैलफेयर बोर्ड को सहायता मिलेगी और सोशल वैलफेयर बोर्ड से इसको सहायता मिलेगी । इसलिये इसको इंटरफियरेंस न कह कर सहायता कहना चाहिये ।

श्री प्रकाश नारायन सप्रू : मगर बोर्ड कंट्रोल कैसे करेगा ?

श्री नवाबसिंह चौहान : रूल्स बना करके । जिस तरह से और चीजें सुपरवाइज की जा रही हैं, उसी तरह से यह चीज भी सुपरवाइज की जायेगी । इतनी ऐफिशिएंसी होते हुए, इतनी पुलिस और सी० आई० डी० होते हुए जिस तरह से आप चोरियां, डकैतियां और कत्ल सुपरवाइज कर रहे हैं, उसी तरह से इसको सुपरवाइज कर लीजियेगा । जब इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो क्या यह छोटा सा काम नहीं होगा । मैं समझता हूं कि यह काम जरूर होगा और इस काम में हर तरीके से चारों ओर से मदद मिलेगी ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You want more time?

श्री नवाबसिंह चौहान : मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : एक बज रहा है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may continue after lunch. There is an announcement by the Minister of Parliamentary Affairs.

ANNOUNCEMENT *RE* GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 24TH AUGUST, 1959

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House for the week commencing 24th August, 1959 will consist of—

1. Discussion on the Resolution approving the Proclamation issued by the President under Clause (i) of Article 356 of the Constitution in relation to the State of Kerala.

2. Consideration and return of the International Monetary Fund and Bank (Amendment) Bill, 1959, as passed by Lok Sabha.

3. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

4. Discussion on Food Situation in the country on a motion to be moved by Shri Bhupesh Gupta on Thursday, 27th August, after the question hour.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2-30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

THE ORPHANAGES AND OTHER CHARITABLE HOMES (SUPERVISION AND CONTROL) BILL, 1959— continued

श्री नवाबसिंह चौहान : श्रीमन्, जो आज-कल अनाथालयों के नाम से बहुत सी संस्थायें —जिनको संस्था कहना कोई उचित नहीं

[श्री नवाबसिंह चौहान]

जंचता है किन्तु बहस के दौरान में उनको और क्या कहा जाय, आखिर को वह नाम तो संस्थाओं का ही रखते हैं---उनमें खराब से खराब काम किये जाते हैं, उनके बारे में मैंने अपने भाषण के दौरान में कुछ चर्चा की। मैंने बतलाया कि किस तरीके से वहां स्त्रियों की बिक्री होती है और उनके चलाने वाले किस तरीके से उनसे फ़ायदा उठाते हैं। बहुत से तो लखपति बन गये हैं। वे संस्थायें, व्यभिचार के और बहुत से अनैतिक कार्यों के अड्डे बन जाती हैं। चोरियां और जालसाज़ियां भी उन अड्डों के ज़रिये से कराई जाती हैं। उनके अन्दर इस प्रकार की स्त्रियां और पुरुष रहते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। मुझे मालूम है कि एक ऐसे ही अड्डे में एक स्त्री है जो कि तकरीबन अन्धी है, देखती नहीं है . . .

डा० राज बहादुर गौड़ : मगर उस स्त्री तक आप कैसे पहुंच गये ?

श्री नवाबसिंह चौहान : हम पहुंच गये आप जैसे किसी के सहारे से---लेकिन उसका काम यह है कि जो स्त्रियां, जो लड़कियां, बहका कर, भगा कर लाई जाती हैं उनको वह गार्ड करती है। आपको ताज्जुब होगा कि एक अन्धी औरत, एक औरत जो कि तकरीबन अन्धी है, वह किस तरीके से गार्ड कर सकती है लेकिन उसकी यही तारीफ समझी जाती है। जनता में वह इस बात के लिये मशहूर है कि उसके चंगुल में एक दफ़ा जो लड़की पहुंच जाये वह कभी भी उसके चंगुल से निकल नहीं सकती है और मुझे कहना चाहिये कि उसके कारण से कई कत्ल भी हो चुके हैं लेकिन चूंकि उसके पास आंखें नहीं हैं इस वजह से उसका फ़ायदा उसे मिलता है और अदालतों से वह छूट जाती है। अदालतें समझती हैं कि इस तरीके की अन्धी औरत कैसे कत्ल कर सकती है। तो यह जमने किये फ़ायदे की चीज है। मुझे मालूम है कि इस तरीके की बहुत सी महिलायें मौजूद हैं। मुझे मालूम है कि इसी तरीके का एक आदमी था जिसके कि कब्जे में कई औरतें थीं और वह उनके बारे में लोगों से कहता था कि यह मेरी स्त्रियां हैं लेकिन उनमें से एक स्त्री को उसने बेचा, उसकी शादी की और बाप बन कर के उसकी शादी की और उस शादी में तमाम अफ़सर भी न्यौते गये। क्योंकि ऐसे लोग बहुत चतुर होते हैं और सब से मिलते जुलते रहते हैं और अफ़सरों को कुछ पता भी नहीं चलता है। जैसा कि मैंने कहा, ऐसे ही एक आरफ़नेज का मेम्बर एक जज को बना दिया गया था और उसे कुछ पता भी नहीं था। तो उस शादी में लोग दावत खाने के लिये आये। मुझे जब पता चला तो मैंने कहा कि यह क्या कर रहे हो, जिम्मेदार आदमी होकर ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां इस तरह की चीजें होती हैं तो वे लोग डर गये और वहां नहीं गये। उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है कि ऐसी बातें हैं। बाद में पता चला कि वह शादी हो गई और चन्द दिनों के बाद वह दुलहन वहां से जेवर वगैरह ले कर अपने मैके वापस आ गई। तो इस तरीके की बातें दिन प्रति दिन होती रहती हैं। बच्चों के सम्बन्ध में भी मैंने आपको बतला दिया है। तो ऐसी चीज़ों का रोकना, इन पर नियंत्रण होना बहुत लाजमी है और मैं समझता हूं कि सरकार इन चीज़ों को रोकने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगी और आज सदन के सामने जो बिल पेश है उसके ज़रिये से इस काम को करने में बहुत मदद होगी।

मैं समझता हूं कि मौजूदा बिल जिस तरीके से यहां पर पेश किया गया है वह बहुत ठीक है। इस तरीके का एक कानून पहले बन चुका है--- **The Women's and Children's Institutions' Licensing Act (Act 105 of 1956)**---और यह कहा जा सकता है कि यह बिल भी उसी तरह का है, यह बिल जो पेश किया गया है यह भी वैसा ही है और इस बिल की मंशा उस कानून से पूरी हो सकती है लेकिन यह बात नहीं है। इस बिल में और उस कानून में मौलिक, बुनियादी, फ़र्क है। उस कानून की जो तीसरी धारा है उस में कहा गया है :

"After the commencement of this Act no person shall establish or maintain an institution except under and in accordance with the conditions of a licence granted under this Act."

यानी जो इस तरीके के इस्टीटयशंस चलायेंगे जिनमें कि डेलिक्केट चिलड्रन और इस तरीके की स्त्रियां आयेंगी उनको इस कानून के बनने के बाद लाइसेंस लेना पड़ेगा। अव्वल तो यह है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा लेकिन किसी स्थान पर यह नहीं लिखा है कि लाइसेंस लेकर इस तरीके से चलायें। और दूसरे साथ साथ यह भी है कि इस तरीके की जो मौजूदा संस्थायें चल रही हैं उनके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है कि लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। अब जो मौजूदा बिल पेश किया गया है इसमें लाइसेंस का सवाल नहीं है, इसमें रजिस्ट्रेशन का सवाल है और यह है कि जितनी भी मौजूदा संस्थायें हैं---जो कि देश के अन्दर हजारों या लाखों की तादाद में होंगी---उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन करने वाली जो अथारिटी है वह इन संस्थाओं के बारे में जो ऐतराज होंगे उनकी जांच पड़ताल भी करेगी और अगर उचित समझेगी तो संस्था को रजिस्टर भी नहीं करेगी। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वह संस्था खत्म हो जायगी। इसके साथ ही साथ बिल में यह भी रखा गया है कि अगर किसी को शिकायत हो कि गैर-वाजिब तरीके पर उसकी संस्था को रजिस्टर नहीं किया गया है तो वह अपील भी कर सकता है।

इसलिये यह बिल जो यहां पेश किया गया है इसमें और उस कानून में मौलिक भेद हैं। आज समाज के ऊपर जो ऐसा एक तरह का संकट है उसको यह बिल दूर करना चाहता है लेकिन पहले वाला कानून उसको किसी तरीके से दूर नहीं करता है। इसलिये इस बिल का लाना लाजमी था और इसीलिये यह लाया गया है। यह नया बिल जोकि आपके सामने पेश है इसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें कि सुधार होने की आवश्यकता है। और यदि यह सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया तो मैं समझता हूं कि वह इसमें सुधार लायेगी। यह कानून काफी सख्त होना चाहिये और मैं कहता हूं कि यह नया कानून सख्त नहीं है और इसको बहुत सख्त बनाना होगा। जहां तक नैतिकता का सवाल है उसके सम्बन्ध में ऐसे हल्के कानूनों से काम नहीं चलेगा और उसके लिये हमें सख्त कानून बनाना पड़ेगा ताकि जो इस तरीके से अनैतिकता, व्यभिचार और भ्रष्टाचार हमारे समाज में चल रहा है, वह दूर हो। इस बिल के अन्दर यह भी है कि केन्द्रीय सरकार को अपने को अछूता रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। मालूम यह पड़ता है कि राज्य सरकारों के लिये तो वह कहती है कि बोर्ड बनाओ और अगर कुछ खर्च का भी सामना करना पड़े तो उसका भी सामना वह करे। लेकिन यहां पर खुद अछूता बन कर निकलना चाहती है। अगर इसके ऊपर पूरी तरह से खर्च नहीं किया गया तो कोई फायदा नहीं होगा। हम देख रहे हैं बहुतेरा रुपया इधर उधर के कामों में खर्च हो रहा है, रोजाना अपव्यय और दुरुपयोग की घटनायें सामने आती हैं। कहीं तो छोटा सा आफिसर भी लाखों रुपयों का नुकसान कर देता है। इसलिये हम दो, चार, दस पांच लाख रुपये के खर्चे के कारण ही इस चीज को न छोड़ दें जिस पर हमारे देश का, राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। आज हमारे समाज में नैतिकता नहीं है, नैतिकता का ह्रास हो रहा है ऐसे में हम चाहे कितनी ही तरक्की कर लें लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हम देख रहे हैं कि हम पार्थिव तरक्की तो कर रहे हैं, बड़े बड़े कल-कारखाने देश के अन्दर बना रहे हैं लेकिन हमारी नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है। बहुत से लोग इसको क्राइसिस आफ़ कैरेक्टर कहते हैं। इसका नतीजा यह है कि हृदय के अन्दर सन्तोष नहीं होता है और समाज की स्थिति विकृत होती जाती है।

[श्री नवाबसिंह चौहान]

और इसलिये जब तक हम इस स्थिति को नहीं सुधारेंगे और सर्वप्रथम उस चीज को नहीं करेंगे जिसकी हमारे देश के लिये प्रथम आवश्यकता है तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा । इसलिये हम दस, पांच लाख रुपये के खर्चे के कारण किसी तरीके से रह जायें तो यह चीज ठीक नहीं होगी ।

कहा जाता है, क्या जरूरत है रुपया खर्च करने की? समाज कल्याण बोर्ड तो है । इस बिल के सपोर्ट में कहते हुए मेरी यह इच्छा नहीं है कि यहां किसी प्रकार समाज कल्याण बोर्ड की शव परीक्षा यानी पोस्ट मार्टम करूं । लेकिन सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जो बोर्ड के कार्यकर्त्ता लोग हैं वे किस तरीके से काम कर रहे हैं । वहां फंड्स तो हैं लेकिन काम करने का तरीका नहीं है । यहां काम करने की इच्छा है और काम करने की इच्छा से यह चीज लाई गई है लेकिन इसमें कोई व्यवस्था फंड की नहीं दिखाई देती । कैसी एक विडम्बना है, हमारे सामने! इसलिये हमें उसे देखना है कि फंड कहां से आयगा । तो जैसा तरीका इसमें है उससे काम नहीं होगा । मैं समझता कि हूं इस प्रश्न पर आगे चल कर सेलेक्ट कमेटी में विचार हो सकता है । केन्द्र के अन्दर भी एक बहुत मजबूत बोर्ड बने और नीचे फिर राज्यों का बोर्ड बने और राज्यों के अलावा जरूरत पड़े तो जहां जहां इस प्रकार की संस्थायें हों वहां वहां हर जगह स्थानीय बोर्ड बने । इस काम को करने के लिये काफी फंड्स होने चाहियें, काफी दिलचस्पी ऊपर के नेताओं की होनी चाहिये ताकि यह चीज बन्द हो । मैं समझता हूं कि बहुत सी संस्थायें अच्छी तरह से चल रही हैं । उनके पास पैसा भी है पढ़े लिखे लोग हैं । बाहर से मदद आती है और उनमें खास तौर से ईसाई मिशनरियों की संस्थायें हैं जो कि आदर्श ढंग से चल रही हैं । काफ़ी खाना दे सकती हैं, तालीम दे सकती हैं, सुख सुविधायें दे सकती हैं । लेकिन भारत में जो और यतीमखाने हैं, विधवा आश्रम हैं, उनके पास पैसे की कमी की वजह से दिक्कतें हैं, पैसे की कमी की वजह से उनके लिये काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है । हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बदल रही है और उसके कारण जो धनी महाशय हैं, दानी लोग हैं उनसे सहायता मिलना भी बहुत ज्यादा कठिन हो गया है । इसलिये ऐसी संस्थाओं को चलाने में बड़ी कठिनाई होगी और इसका नतीजा यह होगा कि गरीब बच्चे मारे मारे फिरेंगे और जिन संस्थाओं के पास पैसा होगा वे उनको लालच देकर धर्म परिवर्तन करायेंगे । इसलिये हमारी सरकार का यह भी फ़र्ज है कि जो जिस धर्म से सम्बन्ध रखता है, चाहे स्त्री हो या बच्चा हो, मुसलमान हो या ईसाई हो या हिन्दू हो, किसी को भी लोभ या लालच किसी प्रकार का देकर उसका धर्म परिवर्तन करने की कोई भी कोशिश न करे ।

श्री पां० ना० राजभोज (मुम्बई) : ज्यादातर लालच देकर करते हैं ।

DR. R. B. GOUR: Sir, I rise on a point of order. Can we proceed with this Bill? Because, in my opinion, if this Bill is passed, all that a Union Territory has to do is to notify in the Gazette that the Bill will come into operation in the Territory. Then a certain amount will have to be spent by the Central Government from the Consolidated Fund of India. Therefore, a financial memorandum ought to have been appended to this Bill. There is no such financial memorandum here. Therefore I seek your ruling on this point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no financial implication mentioned in this Bill.

DR. R. B. GOUR: Supposing it is implemented in a Union Territory, what will happen?

RAJKUMARI AMRIT KAUR: If the State Governments have not been consulted in regard to spending that amount, then they will not spend it. The law will be a dead letter.

श्री नवाबसिंह चौहान : मैंने पहले ही इस सम्बन्ध में अर्ज किया था कि इस बिल पर ओपिनियन्स जानी गई थीं, वे मेरे खयाल से सदन के सामने हैं। लेकिन पहला जो बिल था वह दूसरी शक्ल में था। मैं नहीं कह सकता कि मौजूदा बिल कहां तक उन रायों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। लेकिन जो पहला बिल कैलाश बिहारी लाल साहब ने विदड्रा किया है उसके मुकाबले मौजूदा बिल में इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। राज्य सरकारों से भी इस सम्बन्ध में राय अवश्य ली गई होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर बोर्ड बनाया जाये और उसके लिये यहां से भी रुपया खर्च होने की व्यवस्था हो जाये और सेलेक्ट कमेटी में इस चीज़ पर विचार हो तो बहुत अच्छी बात है।

श्री शीलभद्र याजी : लेकिन यह तो स्टेट के करने की चीज है।

श्री नवाबसिंह चौहान : मैं यह सजेस्ट कर रहा हूं कि जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जाय और ऐसा मुमकिन हो तो इसे किया जाय, नहीं मुमकिन हो तो दूसरी बात है। असल में अगर यहां पर सेंट्रल बोर्ड बन सकता है तो अवश्य ही बनना चाहिये।

साथ ही साथ यह भी हो कि केन्द्रीय सरकार को यह भी देखना है कि इन होम्स के अन्दर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको धार्मिक शिक्षा दी जाती है या नहीं। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ और भी शिक्षण उनको देना चाहिये, जैसे कि आर्ट्स, क्राफ्ट्स वगैरा जो चीजें हैं। इसके अलावा जब बच्चे वहां से निकल कर आयें तो यह जरूरी नहीं है कि उनको रिहैबिलिटेट करने की जिम्मेदारी मैनेजर्स पर ही रहे। इसमें राज्य सरकारों की भी और केन्द्रीय सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिये। जो लड़के वहां से शिक्षा पाकर निकलें उनको नौकरियों में पहले प्रिफरेंस देना चाहिये। आप शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को इसलिये प्रिफरेंस देते हैं क्योंकि वे पिछड़े हुए लोग हैं, बहुत दिनों से कुचले जा रहे थे। इसी तरीके से हमारे अनाथ बच्चे समाज के ऐसे अंग हैं जो उनसे भी गिरे हुए हैं। इसलिये इन अनाथालयों से जो भी निकलें उनको काम में लगाने की जिम्मेदारी सरकार की भी होनी चाहिये। साथ ही साथ, स्त्रियों को पढ़ा लिखा करके उनको भी ठीक ढंग से रिहैबिलिटेट करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिये। इस बिल में तो यह मालूम पड़ता है कि इनको भी रिहैबिलिटेट करने की जिम्मेदारी आश्रम वालों की है।

इस कानून में दो एक चीजें ऐसी हैं जिनको देख कर मेरी समझ में नहीं आया कि उनका क्या अर्थ है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम) : अच्छी नहीं है।

श्री नवाबसिंह चौहान : आपने मतलब निकाल लिया उल्टा। वह अच्छी हैं उनको और अच्छा बनाना चाहिये, मेरा मतलब यह है। इसमें पेज ६ पर खण्ड १६ (३) सी में लिखा है :

"Provided that no woman shall be entrusted to the care of any person other than a woman."

इसका मतलब माननीय मंत्री जी ही समझायेंगे। वैसे नाम से तो यह बिल कैलाश बिहारी लाल जी का है, लेकिन जिम्मेदारी मंत्री जी की है। किसी स्त्री को सिवाय स्त्री के और किसी दूसरे के सुपुर्द नहीं किया जायगा। तो क्या जहां कोई मर्द न हो ऐसी स्त्री को खोजा जायगा। कम से कम इसमें अगर यही करना है तो यह हो कि ऐसी स्त्री होनी चाहिये जिसके यहां कोई मर्द नहीं है, वरना अविश्वास नहीं करना चाहिये। होना यह चाहिये कि किसी माकूल मर्द या स्त्री के सुपुर्द उसको कर देना चाहिये। इसलिये यह जो लिखा है, यह कोई सुंदर चीज नहीं की गई है।

[श्री नवाब सिंह चौहान]

आगे चल कर एक जगह आप कहते हैं कि :

"....recognised home until the woman is rehabilitated."

तो जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं के ऊपर नहीं होनी चाहिये बल्कि सरकार भी उनको रिहैबिलिटेट करने में हर तरीके से मदद करे। उसको डेफनिट स्कीम बनानी चाहिये कि स्त्रियों को किस तरीके से कहां रखा जायगा। अगर उनकी शादी नहीं होती है तो उनको व वहां के बच्चों को नौकरी कसे दी जायगी। इम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज को उन पर खास कंसिडरेशन करना चाहिये। नम्बर न होते हुए भी प्रायरिटी के मामले में उनको सबसे ज्यादा प्रिफरेंस देना चाहिये।

इसी में पेज ७ पर २२वीं धारा के खंड (२) में लिखा है :

"....marriage or entrustment, as the case may be, and, if the inmate to be given in marriage is a minor, unless the Board or officer, as the case may be, has given its or his approval thereto."

माइनर और मैरिज का क्या सवाल है। कोई कानून ही नहीं है कि माइनर का जो नाबालिग है, उसकी मैरिज की जाय। इसलिये यह चीज किस तरीके से रख दी है, यह मेरी समझ में नहीं आया। आशा है माननीय मंत्री जी या जो कोई भी इस बिल के लिये जिम्मेदार ह इसको समझाने की कृपा करेंगे।

अब मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हर तरीके से मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं और खास तौर से यह अर्ज करता हूं कि अगर इन बच्चों की इन यतीमों की, स्त्रियों की आपने हिफाजत नहीं की तो ये दूसरी तरफ भटक सकते हैं, बहक सकते हैं और न मालूम कहां से कहां इनको जाना पड़े। मेरा तो ऐसा खयाल है कि कोई भी इस बिल पर ऐतराज नहीं करेगा सिवाय उनके जो यह चाहते हों कि इस तरीके की चीज हो। इसलिये मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। (*Interruptions*) मुझे कह लेने दीजिये, मैं खत्म ही कर रहा हूं, उसके बाद आप तकरीर कर सकते हैं। अन्त में मैं फिर एक बार सदन से प्रार्थना करूंगा कि यह बिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका मकसद बहुत आला है। अतः इसको हर तरह से स्वीकार करें। खास तौर से मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस बिल में और जो कानून मैंने बतलाया है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक धारा के किसी अंश में भी जोकि बुनियादी है उसमें ही फ़र्क होने से बहुत कुछ बुनियादी फ़र्क पड़ जाता है। यह तो जरूर है कि बहुत सी धारायें उस कानून को और इस बिल को एक सी हैं।

इसलिए मैं इन सब बातों को कहते हुए एक बार फिर श्री कैलाश बिहारी लाल साहब को धन्यवाद देता हूं और सरकार को खास तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उसने इस बिल को यहां आने का मौका दिया जिससे यह रोशनी में आया है। अंत में सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं।

DR. R. B. GOUR; Sir, my point of order stands and I would like to have your ruling on this. Clause 9 says that any authority can give grants to the Board and 'authority' I am sure also includes Governmental authority. If the Union Territories are to enforce this Bill and the authorities of the Union Territories want to give grants to these boards, then obviously a certain amount of money has to be drawn from the Consolidated Fund of India. Therefore, a financial memorandum is absolutely necessary. Otherwise, let it be made clear that 'authority' precludes any governmental authority, that means, that these boards will not be entitled to get anything from any governmental authority. If that is the position, then the Central Government funds do not come in. Otherwise,

Central Government funds come in and as such, a financial memorandum is absolutely necessary. That js my point of order.

MB. DEPUTY CHAIRMAN: The authority may be a private institution also.

DR. R. B. GOUR; May be but the Central Government is not precluded from giving any grants.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If they want to give grants, they will come before you. Anyway, there is no obligation to give on the part of the Central Government or any Government Irom out of its Consolidated Fund. As the Bill stands, there is no obligation cast upon any Government to spend money out of its Consolidated Fund. There is no point of order. You may raise the point that it may refer to Government but there is no obligation «ast upon the Central Government. 'Authority' may be any private institution also.

DR. R. B. GOUR: But it does not specifically exclude Government. Tf Government wants, it may give.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If Government wants, it will come before Parliament. How can it pay without getting sanction? It will have to be provided for in the Budget or it has to come before Parliament.

DR. R. B. GOUR; As the Bill is being introduced and as it does not specifically mention that 'authority' does not mean governmental authority, the Central Government can give.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Bill does not say that Government has to pay or maintain any institution.

DR. R. B. GOUR; That it does not say. It may. Let them say that Government will not give any grants.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a Trypothetical question. There is no point of order.

RAJKUMARI AMRIT KAUR;Surely, Sir, when these bodies are to be formed by notification in theOfficial Gazette, then they becomeofficial

40 R.S.D.-3.

bodies and these bodies cannot exist unless grants are forthcoming from the Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Notification only for the constitution of the boards.

RAJKUMARI AMRIT KAUR: True but when they are appointed by Government, it is incumbent on the Government to give grants otherwise how can such boards exist? Suppose no grant is forthcoming, how will these boards function? No board can function without grants.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It may be that money is given by private bodies.

SHRI D. A. MIRZA (Madras): How are these Wakf Boards existing? Do we get grants from the Government? Whether the institution is owned by the Government or by private parties, all that this Bill seeks to do is to say that there must be governmental control and supervision over the boards of management.

THE MINISTER OF LAW (SHRI A. K. SEN) The Wakf Boards do not get any grants from Government.

SHRI D. A. MIRZA: I do not think any institution will be getting grants. Whether they get any grants or not, we want the power of supervision over these bodies.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I am saying.

DR. R. B. GOUR; The existing boards are getting money.

DIWAN CHAMAN LALL (Punjab): What have you been pleased to rule. Sir, in regard to this, whether this particular measure does or does not require a certificate?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is the only point.

DIWAN CHAMAN LALL: The ruling is that it does not require any recommendation?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no obligation cast upon the Government by the Biil to spend any moaejy.

DIWAN CHAMAN LALL: Suppose the Bill is accepted by Government, there is a provision here which says that grants can be made and the State Governments . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Grants by whom? Any person.

DIWAN CHAMAN LALL: Any person or any 'authority' and any authority may be a governmental authority.

MR. DEPUTY CHAIRMAN; If Government want to give grants, they will come before you.

DIWAN CHAMAN LALL: But they will not come before you. The Bill itself gives the necessary permission to the Government to make the necessary grants. Suppose this measure is passed, what happens in that case? The measure is not going to be passed and put away on the shelves of the Law Minister. The measure, if it is passed, is going to be made effective. It has got to have the funds to carry on the purpose of this measure and if it has got to have the funds then obviously you have got to get the recommendation which is necessary under the law.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Before you give your ruling, Sir, I would like to support this contention. I think this point should be clarified more than it has been done by some speakers. The question is not whether Government actually makes any grant or not. In such matters,.the question is whether, if the law is passed and put into operation, the Government would be called upon or may be called upon to make grants. If the interpretation is that the Government may be called upon to make financial grants, then the Bill would require the recommendation of the President in order to be proceeded with here. That exactly is the position and not whether there is any obligation cast upon the Government to make a particular grant or not. The question is, is the Government going to be made liable, after the Bill is passed, to make grants. We anticipate this thing. Take an example. Suppose I bring forward a measure under which a certain machinery is to be set up to discharge a certain function^ It follows from such a provision that the Government has to meet the expenses of such a body. In such a case, that Bill would have to have the consent of the President as it will involve expenditure on the part of the Central Government. Conceivably, it may be argued that if such a measure was passed, there may be charitable people who would not claim or take any money from Government but such an argument would not hold water here We have to decide whether this Bill imposes a certain obligation on the Government in the event of its being enacted. Even if there is a remote* chance, I think the Bill has to be put in a different category and the consent of the President has to be obtained. Therefore, a clear ruling on this point should be given so that it may be of guidance to us in the future.

SHRI A. K. SEN: May I request you to defer a ruling on this until the next non-official day? It is not a matter which can be said to be clear of ali doubts. An enabling provision enabling the Government to pay money out of the Consolidated Fund can come within the meaning of article 110. I am not saying that this one would but it does require further consideration and I am not sure if I will be able to give you ajl the assistance today which I may on the next day.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What about the discussion?

SHRI A. K. SEN: Let the discussion, continue. You may defer your ruling until the next non-official day, Sir.

SHRI BHUPESH GUPTA: How can it be, Sir?

SHRI AKBAR ALI KHAN: The ruling has already been given. He has; given the ruling.

DR. R. B. GOUR: When?

SHRI BHUPESH GUPTA: I under- i stand the Law Minister's position. He is taking the common-sense point of view, trying to accommodate a private Member. I sympathise with him but suppose somebody applies the guillotine and this Bill is passed? What would happen then? I mean the discussion has to be postponed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then I can give a ruling for the postponement of the discussion.

SHRI BHUPESH GUPTA: If you postpone the ruling, then postpone the discussion also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You want me to postpone the discussion?

DR. R. B. GOUR: Yes, Sir.

Sunt MAHESH SARAN (Bihar): No, Sir.

SHRI BHUPESH GUPTA: Otherwise, it is illogical.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are not able to enlighten the House?

SHRI BHUPESH GUPTA: Let him not give advice in darkness, Sir.

SHRI A. K. SEN: It requires greater study. I would like some more time to be of more assistance *to* you than I can at the present moment.

3 P.M.

PANDIT S. S. N. TANKHA (Uttar Pradesh): May I be permitted to say something on this point of order?

SHRI AKBAR ALI KHAN: A ruling was given, I understand, and after that ruling was given, all this discussion is futile.

DR. R. B. GOUR: But then I reopened it and drew your pointed attention to clause 9 of the Bill.

SHRI AKBAR ALI KHAN: The Law Ministry must have given full consideration to this matter.

SHRI MAHESH SARAN: One thing is clear, namely, that you have given your ruling.

SHRI BHUPESH GUPTA: Assuming that you have given a ruling, Sir— assuming that for the sake of argument, you can alter that particular ruling and rcvi-e it. That also is in your power.

SHRI AKBAR ALI KHAN: But that will be a bad precedent.

SHRI BHUPESH GUPTA: But it is wisdom to right a wrong thing. That will be a good precedent.

DR. R. B. GOUR: Another point of order, Sir.

[The Minister of Law (Shri A. K. Sen)went to the Chair for consultations.]

SHRI D. A. MIRZA: Sir, I move that the consideration of the Bill may be postponed to the next non-official day.

DR. R. B. GOUR: Under what rule?

SHRI BHUPESH GUPTA: I have to raise another point of order. I think the hon. Law Minister should communicate with the Chair from his place. Otherwise you may adjourn the House.

SHRI D. A. MIRZA: Obstructionist tactics.

DR. R. B. GOUR: Sir, that expression "obstructionist tactics" he should withdraw.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kailash Bihari Lall, I think I have t» adjourn the discussion.

SHRI D. A. MIRZA: Yes, Sir. I submit that the discussion may be adjourned to the next non-official day. It is left to the Deputy Chairman.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will take it up on the next non-official aay.

SHRI KAILASH BIHARI LALL: Are you postponing the consideration then?

MB. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. The Law Minister says he is not able to enlighten the House now.

SHRI KAILASH BIHARI LALL: I have no objection, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The discussion on this Bill is postponed to the next non-official day.

THE WAKF (AMENDMENT) BILL, 1959

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM): Sir, I move:

> "That the Bill to amend the Wakf Act, 1954, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, this Bill contains five amendments to the Wakf Act of 1954, of which three relate to certain positions which had been created by the States Reorganisation Act in its enforcement. There are two others which I am taking up first to explain to hon. Members. For that purpose I shall have to make reference to the principal Act so that hon. Members may fully realise the position which has been taken in these amendments.

To sub-section (3) of section 1 of the principal Act there is a proviso which says that in respect of the States of Bihar, Delhi, Uttar Pradesh and West Bengal, no such gazette notification shall be issued except on the recommendation of the State Govem-ment concerned. As far as the enforcement of this Act in the various other States is concerned, the Central Government is authorised by the principal Act to enforce it through notification published in the Government gazette. But in regard to these four States, this restriction was imposed and unless and until a recommendation came from these States themselves or any one of them, the Act cannot be enforced there. Among these Delhi is included. At present there is an amendment relating to Delhi, namely, that the word "Delhi" should be deleted from here by means of an amendment in this Bill.

There is another thing provided and that is in section 10 of the principal Act and that is with reference to the numbers on the Boards for the Parts A, B and C States, as they existed when the Act was passed. It then provided that there shall be eleven members in the case of each of the States specified in Part A of the First Schedule to the Constitution, seven members in the case of each of the States specified in Part B of the Schedule and five members in the ease of each of the States specified in Part C of the Schedule. Delhi was included in Part C States and as you know, Delhi is now a Union Territory. Now Delhi is going to be. given a body or Board consisting of eleven members. The reason for that is in spite of being e small State or Territory, within its small jurisdiction, it has hundreds of wakfs within its boundary just like so many other States. There may be only three or four other States in which there are as many as in Delhi. Therefore, it has been considered that as far as Delhi is concerned, it should be given a larger Board than was provided for in the principal Act. So from five, the number will be raised to eleven and also the word "Delhi" will be deleted from the proviso that I referred to in order to see that the enforcement of this Act of 1954 may be there without the receipt of any recommendation from Delhi State itself. So these are two of the amendments.

Then there is another amendment proposed here which seeks to add another proviso to sub-section (3) of section 1, namely:

> "Provided further that where on account of the territorial changes brought about by the States Reorganisation Act, 1956, this Act is, as from the 1st day of November,